संख्या-32/2022/333/सैंतीस-2-2022-1(22)/07टीसी

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-23 मार्च, 2022

विषयः- **गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जि.यो.) (सामान्य) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-51/पशुधन-2/22/1/4/2021-22(सामान्य), दिनांक-08.03.2022 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-114/2021/1995/सैंतीस-2-2021-1(22)/07टीसी, दिनांक-02.11.2021 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-07-गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जि.यो.) के निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-360.00 लाख (रूपये तीन करोड़ साठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न जनपदवार विवरणानुसार अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50.00
39-औषधि तथा रसायन	25.00
42-अन्य व्यय	15.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	270.00
योग-	**360.00**

(रूपये तीन करोड़ साठ लाख मात्र)

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं निर्धारित मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु जिला योजनाओं के जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
3. धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा जब निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन/संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।
4. मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में स्वीकृत धनराशि से प्रथमतः उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद के तरल नत्रजन एवं सीमेन स्ट्राज के लम्बित बीजकों का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
6. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
8. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
9. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
10. विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यय समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
11. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक-22.03.2021 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-07-गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जि.यो.) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक-22.03.2021 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-32/2022/333(1)/सैंतीस-2-2022- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास/वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
4. सम्बन्धित उप निदेशक/मुख्य अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-32/2022/333/सैंतीस-2-2022-1(22)/07टीसी, दिनांक-23 मार्च, 2022 का संलग्नक-

गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जि.यो.) (सामान्य) (2021-22) (धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	मेरठ	0.65000	0.33750	0.20250	5.56600	6.75600
2	बागपत	0.65000	0.33750	0.20250	4.17460	5.36460
3	गाजियाबाद	0.65000	0.33750	0.20250	1.92670	3.11670
4	गौतमबुद्धनगर	0.65000	0.33750	0.20250	1.76620	2.95620
5	बुलन्दशहर	0.65000	0.33750	0.20250	5.78020	6.97020
6	हापुड	0.65000	0.33750	0.20250	2.78300	3.97300
7	सहारनपुर	0.69000	0.33750	0.20250	4.44220	5.67220
8	मुजफ्फरनगर	0.70000	0.33750	0.20250	4.65620	5.89620
9	शामली	0.65000	0.33750	0.20250	3.26470	4.45470
10	मुरादाबाद	0.65000	0.33750	0.20250	4.06750	5.25750
11	अमरोहा	0.65000	0.33750	0.20250	3.42530	4.61530
12	रामपुर	0.65000	0.33750	0.20250	2.40840	3.59840
13	बिजनौर	0.65000	0.33750	0.20250	3.58580	4.77580
14	सम्भल	0.65000	0.33750	0.20250	2.99710	4.18710
15	बरेली	0.65000	0.33750	0.20250	3.53230	4.72230
16	बदायूं	0.65000	0.33750	0.20250	3.80000	4.99000
17	शाहजहांपुर	0.65000	0.33750	0.20250	3.21120	4.40120
18	पीलीभीत	0.65000	0.33750	0.20250	2.40840	3.59840
19	अयोध्या	0.65000	0.33750	0.20250	2.35490	3.54490
20	अम्बेडकर नगर	0.65000	0.33750	0.20250	6.00000	7.19000
21	सुल्तानपुर	0.65000	0.33750	0.20250	4.22800	5.41800
22	बाराबंकी	0.65000	0.33750	0.20250	5.94070	7.13070
23	अमेठी	0.65000	0.33750	0.20250	4.38870	5.57870
24	गोण्डा	0.65000	0.33750	0.20250	3.63930	4.82930
25	बलरामपुर	0.65000	0.33750	0.20250	2.03380	3.22380
26	बहराइच	0.65000	0.33750	0.20250	3.47880	4.66880
27	श्रावस्ती	0.65000	0.33750	0.20250	0.85630	2.04630
28	बस्ती	0.65000	0.33750	0.20250	3.42530	4.61530
29	संतकबीर नगर	0.65000	0.33750	0.20250	1.98020	3.17020
30	सिद्धार्थ नगर	0.65000	0.33750	0.20250	3.26470	4.45470
31	गोरखपुर	0.65000	0.33750	0.20250	5.61960	6.80960
32	महराजगंज	0.65000	0.33750	0.20250	3.05070	4.24070
33	देवरिया	0.65000	0.33750	0.20250	4.00000	5.19000
34	कुशीनगर	0.65000	0.33750	0.20250	3.42530	4.61530
35	प्रयागराज	1.50000	0.33750	0.20250	8.02800	10.06800
36	कौशाम्बी	0.65000	0.33750	0.20250	2.08730	3.27730

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

37	**फतेहपुर**	0.65000	0.33750	0.20250	4.65620	5.84620
38	**प्रतापगढ**	0.65000	0.33750	0.20250	5.40550	6.59550
39	**झांसी**	0.65000	0.33750	0.20250	2.19430	3.38430
40	**ललितपुर**	0.65000	0.33750	0.20250	2.72950	3.91950
41	**जालौन**	0.65000	0.33750	0.20250	3.26470	4.45470
42	**बांदा**	0.65000	0.33750	0.20250	2.30130	3.49130
43	**चित्रकूट**	0.65000	0.33750	0.20250	1.55200	2.74200
44	**हमीरपुर**	0.65000	0.33750	0.20250	4.00000	5.19000
45	**महोबा**	0.65000	0.33750	0.20250	1.44500	2.63500
46	**लखनऊ**	0.65000	0.33750	0.20250	3.00000	4.19000
47	**उन्नाव**	0.65000	0.33750	0.20250	4.00000	5.19000
48	**रायबरेली**	0.65000	0.33750	0.20250	4.12100	5.31100
49	**हरदोई**	0.65000	0.33750	0.20250	4.00000	5.19000
50	**सीतापुर**	0.65000	0.33750	0.20250	4.26060	5.45060
51	**खीरी**	0.65000	0.32500	0.19500	3.96050	5.13050
52	**आजमगढ**	0.65000	0.32500	0.19500	5.99420	7.16420
53	**मऊ**	0.65000	0.32500	0.19500	3.15770	4.32770
54	**बलिया**	0.65000	0.32500	0.19500	5.45900	6.62900
55	**वाराणसी**	0.65000	0.32500	0.19500	1.81970	2.98970
56	**जौनपुर**	0.65000	0.32500	0.19500	4.33510	5.50510
57	**गाजीपुर**	0.65000	0.32500	0.19500	5.45900	6.62900
58	**चन्दौली**	0.65000	0.32500	0.19500	2.08730	3.25730
59	**मिर्जापुर**	0.65000	0.32500	0.19500	2.99710	4.16710
60	**सोनभद्र**	0.65000	0.32500	0.19500	2.14080	3.31080
61	**संतरविदास नगर**	0.65000	0.32500	0.19500	1.12400	2.29400
62	**कानपुर नगर**	0.65000	0.32500	0.19500	3.00000	4.17000
63	**कानपुर देहात**	0.80000	0.32500	0.19500	4.60270	5.92270
64	**फर्रूखाबाद**	0.65000	0.32500	0.19500	2.83660	4.00660
65	**इटावा**	0.65000	0.32500	0.19500	3.26470	4.43470
66	**कन्नौज**	0.65000	0.32500	0.19500	1.87320	3.04320
67	**औरैया**	0.65000	0.32500	0.19500	2.70000	3.87000
68	**आगरा**	0.80000	0.32500	0.19500	5.00000	6.32000
69	**मथुरा**	0.65000	0.32500	0.19500	4.06750	5.23750
70	**मैनपुरी**	0.65000	0.32500	0.19500	4.13000	5.30000
71	**फिरोजाबाद**	0.66000	0.32500	0.19500	6.00000	7.18000
72	**कासगंज**	0.65000	0.32500	0.19500	2.08800	3.25800
73	**एटा**	0.65000	0.32500	0.19500	3.90700	5.07700
74	**अलीगढ**	0.65000	0.32500	0.19500	7.06000	8.23000
75	**हाथरस**	0.65000	0.32500	0.19500	2.40840	3.57840
योग-		**50.00000**	**25.00000**	**15.00000**	**270.00000**	**360.00000**

(रूपये तीन करोड़ साठ लाख मात्र)

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।